

कांडाली प्रभागी विधानसभा } पर्याप्ति दो-५ बार दिए
पंजाब ५३। । १२-१ दिसेंबर ७. ८. २०१५

झौला में,

वन संरक्षण,
उत्तरी कुमाऊ इला
उत्तराखण्ड अधिकारी

विषय - चौहानी के वस्तु बनकुड़ी घोर बार छाताएँ
२४५। २०१५.

झौला - आपकी पत्र दो-२४७। १२-१ दि. ५-६-२०१५

महादेव,

कांडाली पंजी के जन्म के उत्तावल विभाग
एवं शासन प्रशासन की विधानसभा द्वारा दिया गया है,
जिसकी विवरणीय है,

कांडाली विधानसभा
कांडाली विधानसभा
कांडाली विधानसभा

Form-1
(For Linear Projects)
Government of Uttrakhand
Office of the District collector Pithoragarh

No.....

Date- 29/11/2014

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and forest (MoEF) Government of India letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest dwellers (recognition of forest rights) act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that 3.492 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Gram Vikash Department ,Govt. of UK for the construction of Motor Road From Chauhati to Barambachkudi in Pithoragarh district falls within jurisdiction of Barambachkudi villages in Didihat Tehsil.

It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.492 hectares of forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s) Gram Sabha(s) sub-division level committee(s) and the district level committee are enclosed as annexure 30.1 to annexure 30.4
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it-----
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl: As above.

Dated. 29/11/2014

Signature


(पिठोरागढ़ जिल्हा)
District collector
Pithoragarh
पिठोरागढ़

A-16-2

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना के अन्तर्गत में प्रस्तावित चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee Constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act. (FRA), 2006.

A meeting of the District level committee of Pithoragarh District, Constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. H.C. Semwal, I.A.S., District Magistrate Pithoragarh on Date 29/11/2014 at Pithoragarh in which the application claiming right in mail area measuring 5.409 Hect. for the construction of Chaubati to Barambachudi Motor Road of Forest Level Committee of Didihat Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the document and detail discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District Level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:- Pithoragarh

Dated:- 29/11/2014

(H.C. Semwal)
District Magistrate,
District Level Committee
Distt. Pithoragarh

A - 1163

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में प्रस्तावित चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

जिला स्तरीय समिति- पिथौरागढ़

उपखण्ड ढीड़ीहाट पश्चिम के अन्तर्गत चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग, (2.754 हेक्टेक्टर वन भूमि 5.109 हेक्टेक्टर सोशल वन भूमि, शूल्य 4.0 हेक्टेक्टर वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 8.163 हेक्टेक्टर वन भूमि) का गांव विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (तहसील-डीड़ीहाट) की दिनांक 20/02/2008 को सम्बन्ध बैठक की कार्यवाही का विवरण-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एच०सी० सेमवाल जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में साननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुच्छेद है।

- 1- श्री एच०सी० सेमवाल, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
- 2- डॉ इन्द्रालal सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
- 3- श्री श्याम लाल आर्या, जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव
- 4- श्रीमती अमृता अमृतालाल, सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र नियंत्रण अधिकारी सदस्य

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति भी बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 8.163 हेक्टेक्टर वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव गाननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लखित नहीं है। इकत भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से परित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु उन्नयन की अनुशासा की गई है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन विवाही वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधिकार को स्पष्ट करते हुए जनकारी में सम्बन्धी सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दोवेंदार का दावा/आवेदन पत्र प्रत्युत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनापति जारी की जा चुकी है। इस प्रकारण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापति जारी की जा सकती है।

सदस्य जिला पंचायत

क्षेत्र :- विलगालगाव

उठुल्लुरुपुडिल/पुडिल/भारी

उपरुपुडिल सदस्य

श्रीमती जयन्ती देवी

ब्लॉक प्रमुख

विलगालगाव डीड़ीहाट

जिलाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

अध्यक्ष
वनाधिकारी
पिथौरागढ़

सदस्य

जिला समाज कल्याण अधिकारी

सदस्य/समिति

उठुल्लुरुपुडिल/पुडिल/भारी

उपरुपुडिल सदस्य

परियोजना का नाम

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत फेज-IX में प्रस्तावित, चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग (9.070 किमी) का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी डीडीहाट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- डीडीहाट

प्रतीक्षा

उपखण्ड असमाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग 2.754 हेठो नाप भूमि, 3.492 हेठो सिविल सोयम (वन स्वरूप) वन भूमि, 1.917 सिविल सोयम (वन रहित), शून्य हेठो वन पंचायत भूमि शून्य हेठो आरक्षित वन अर्थात् कुल 8.160 वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील- डीडीहाट) की दिनांक 2008 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री डीडीहाट उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री डीडीहाट अध्यक्ष उपजिलाधिकारी डीडीहाट अध्यक्ष
- 2- श्री डीडीहाट सदस्य उप प्रभागीय वनाधिकारी डीडीहाट सदस्य
- 3- श्री डीडीहाट सहायक समाज कल्याण अधिकारी डीडीहाट सदस्य / निवासी
- 4- श्री डीडीहाट वीडीओसी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों के अवगत कराया गया कि चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 8.160 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मान्यता नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वामान्ति से परित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यायर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधिक को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी देवदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की सकती है।

उपजिलाधिकारी
अध्यक्षउप प्रभागीय वनाधिकारी
अधिकारी सदस्यसहायक समाज कल्याण अधिकारी
डीडीहाट सचिववीडीओसी सदस्य
सदस्य

परियोजना का नाम : जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत फेज-IX में प्रस्तावित, घोबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग (9.070 किमी) का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम:- कड़ाखलालपुर

तहसील-डीडीहाट

द्वान् पवाष्टप का नाम—स्कृतम्

जिला-पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में ज़ानपद पिथौरगढ़ के अन्तर्गत चौबाटी से बरमवर्कुड़ी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (2,754 हेतु नाप भूमि, 5,409 हेतु सिविल एवं सोयम वन भूमि) अर्थात कुल 8,163 हेतु वन भूमि का ग्रामीण अधियन्त्रण सेवा विभाग पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0 डीजीहाट (पिथौरागढ़) विभाग/रास्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक २६/१५१५ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनुपर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधिकों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिकृत सभी ग्रामवासियों द्वारा रपट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परापरागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के दूसरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घोषणा से बरमबद्धकरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को वनविभाग को हस्तान्तरित एवं चयनित भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने में ग्रामवासी कोई आपत्ति नहीं है।

मक्क डिस्पोजल हेतु वयनित भूमि पर मलवा डालने में ग्रामवारीयों को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त चयनित भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, शमशान घाट, कब्रिस्तान, चर्च आदि रिश्त नहीं हैं, तथा इस भूमि को किसी भी प्रकार के सार्वजनिक उपयोग में नहीं लायी गई है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

| कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिकारी अभियन्ता |
|---|---|---|
| ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी०आई०य०, पी०एम०जी०एस०वाई० डीडीहाट (पिथौरागढ़) | ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी०आई०य०, पी०एम०जी०एस०वाई० डीडीहाट (पिथौरागढ़) | ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी०आई०य०, पी०एम०जी०एस०वाई० डीडीहाट (पिथौरागढ़) |

डीडीहाट(पिथोरागढ़)
(वीरप्रत्यक्ष सम्पर्क)

दी दीहाट (पिशोरामाट)

अधिशासी अभियन्ता

ग्राम परिवहन- बरम लक्ष्मण

100 /

वन पंचायत सरपंच

ग्राम पंचायत- वरम लक्ष्मी
निवास, श्रीनगर (जिल्हा जम्मू)

10 ✓

८०/-
जिल्लाधिकारी
जिल्लाधिकारी
प्रधानमंत्री

A-3-6-6



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

22AA 797284

अनापीला उत्तराखण्ड-पश्च
उत्तराखण्डी गांधी हृष्ण केशवा के अनामी विद्युत नोकरी-
विभाग द्वारा जोखर गाँव में हजार लड़की कृष्णनों की नाप्रभावि-
पड़ती है, गाँव के बाटों से जो भावाका निवाहोगा
उसे इमारी नाप्रभावि में डावते में हजार लड़की की
प्रकार नी आपसित नहीं है, भलवा डावते हैं
लड़की नाप्रभावि नेश्वर्ण करने की तेपार है।

- 1) प्रदीप देव
2) रवींद्र देव
3) राजेन्द्र देव
4) अमीरदेव
5) रामदेव
6) वीरदेव
(7) अमीरदेव
(8) दीर्घदेव
- कुमार राम
रामदेव
गोपिनाथ देव
शोभा देव
रामदेव
गोपी देव
रामदेव
कृष्णदेव
रामदेव
रामदेव
रामदेव
रामदेव
रामदेव

9 गोविन्दसिंह

10 नीरज सिंह

11 तारक सूरी

12 एम्पी देवा

13

3. अमृत सिंह

14. 9 JUN 2016 14- अमृत सिंह

15 बदला देवा

16 बदला देवा

17 बदला देवा

18 बदला देवा

19 बदला देवा

20 बदला देवा

21 बदला देवा

22 बदला देवा

23 बदला देवा

24 बदला देवा

25 बदला देवा

26 बदला देवा

15 जून

2. देवा

पीटे

Samek Singh

K.S. Bore

प्रारूप- 29

(6.00 रुपये अधिक के प्रकरणों में लागू)

Cost Benefit Ratio calculation Performa

परियोजना का नाम:-जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, चौबाई-बरमबाबुड़ी मोटर मार्ग (9.070 किमी) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरित प्रस्ताव।

Block:- ढोडीहाट

District:-पिथौरागढ़

| Sl. No. | Particulars | Amount in lakhs | Remark |
|---------|--|------------------------|--|
| 1 | Total cost (Investment incurred) | | |
| (A) | Construction cost of the project | 553.90 | |
| (B) | N.P.V. Amount to be deposited @ --- lakh /Ha | 37.8 | |
| (D) | Substitute/Alternative Plantation Cost to be Deposited:- | 60.71 | |
| (E) | Other cost if any | 14.1 | |
| | Grand Total | 666.51 | |
| 2 | Benefits | Estimated Cost /yearly | Total benefit during the life of the created development |
| 2.1 | i. Direct Economic Benefits a. Market Development :-10 shops are established after construction of above road taking minimum benefit for pae shop per day Rs. 180.00 benefit for 10 shops per month $10 \times 30 \times 180 = 67500.00 \times 12 = 540000.00$ Benefit for 1 year = $54000.00 \times 12 = 648000.00$ <u>Benefit for 50 years = $648000.00 \times 50 = 32400000.00$</u> b. Employment Generation Due to transportation | 324.00 | |
| | c. Direct Employment in construction and maintenance | 240.00 | |
| | d.(i) Agricuture Production & better marketing | 120.00 | |
| | (ii) Horticultural & Animal | 110.00 | |
| | e. Increase in Income due to increase in animal husbandry and horticulture | 40.00 | |
| | f. Decreasing the cost of Electrical held Pipe line, Telephon line & other Communication works | 55.00 | |
| | Total direct benefits | 889.00 | |
| 2.2 | ii. Social Benefits a. Improvement in the education level | 35.00 | |
| | b. Higher the Average due to better Health/facility (Assesing increase age of 5 Year) | 86.00 | |
| | Total social benefits | 121.00 | |
| 2.3 | iii. Ecological Benefits a. Increase in Pollution after cost of Road | 90.00 | |
| | b. Increase in water level due | 50.00 | |
| | c. Water conservation | 30.00 | |
| | Total ecological benefits | 170.00 | |
| 2.4 | Other Benefits(if any) a. Abolition of Casteism | 10.00 | |
| | b. Abolition of poverty | 10.00 | |
| | Total benefits | 20.00 | |
| | Grand Total Benefits | 1200.00 | |

J.E.

A.F.

E.E.

A - 1.1.2

प्रत्या-२९.१

Parameter for Evaluation of loss of Forests

Name of Project: Construction of Chaitali-Botam Bachwani MTR Nature of Proposal :- Road

| Sl.no. | Parameters | Details |
|--------|--|--|
| | | |
| 1 | 1. Loss of Value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annual basis, Including loss of man hours per annum of people who derived their livelihood and wage from the harvest of these commodities. | Loss of total 392 Nos of tree Carts, Rs=878803.56/- Misc species which will be compensated by compensatory afforestation and additional avenue plantation |
| 2 | 2. Loss of animals husbandry productivity including loss of fodder | Nil |
| 3 | 3. Cost of human resettlement | No Human displacement involved in forest Area. |
| 4 | 4. Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project. | No, loss of public facilities is involved in the proposed project or Public facilities like Roads, buildings, railways etc. will not be affected due to road, therefore the loss due to this will be "Nil". |
| 5 | 5. Environmental losses;(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.) | Project is linear, environmental loss are anticipated except tree felling. Environmental value depends upon the density of forest Density of forest land = 0.2 |
| 6 | 6. Suffering to oustees | Environmental loss for 50 years = $150 \times 0.2 \times 5.409 = 162.71$ acres Environmental loss for 1 year = $\frac{162.71}{50} = 3.245$ acres Environmental loss per year/Hactare = $\frac{3.245}{5.409} = 0.60$ hact. For 30 years = $0.60 \times 30 = 18$ hact. Total loss = $878803.56 + 18.00$ hact. = 86.789 hact. |

मानीय मंज अधिकारी
प्रियोरिटी

प्रार्थ्य-29.2
Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests

| No. | Parameters | Details |
|-----|--|--|
| 1 | Increase in productivity attributable to the specific project. | Vegitable and Fruits=150Qtl @ 1500/- =225000.00 |
| 2 | Benefits to economy | About Rs 1.50 Loakh due to Milk production,Vegitable,Fruits,Torism and other mining mineral materials |
| 3 | No. of population benefited. | 706 |
| 4 | Employment potential. | About Rs240.00 Lakhs About Rs. 240.00 Lakh Labours component in project will give emploement to local youth,their social,economic,cultural life structure will be benefited. |
| 5 | Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible. | Nap Land 3.1882 Hect |
| 6 | Loss of (a) agricultural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land. | |
| 7 | Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement. | |
| 8 | Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction. | Kerosene Oil/Gas Connection service is available in the area/dry fuel wood will be sufficient from nearby Nigam Depot during construction. |

Amit
JL.

D.K.

Dm

J
Joint
Committee
Members

प्रपत्र-42

परियोजना का नाम : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग (9.070 किमी) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28-03-2008 एवं दि० 09-05-2008 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. ईको-क्लास श्रेणी | V.I |
| 2. हरियाली का घनत्व | :- 0.4 |
| 3. एन०पी०वी० की दर प्रति हेठो | :- 89700/- |
| 4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल | :- 5.409 हैठो |
| 5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि | :- 4851873 |

हैठो/-

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
विभागीय वनाधिकारी
नियंत्रण विभाग
राज्य सरकार

प्रपत्र-15.4

वा का नाम

:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चौबाटी-बरमबचकुड़ी भेट मार्ग, (9.070 कि०मी) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उन्नत मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि 9.00 मी० चौड़ाई में प्रत्यावर्तित किये जाने का प्रस्ताव निर्धारित गया है। पूर्व में पातन होने वाले वृक्षों की गणना 7.00 मी० चौड़ाई में ही की गयी थी। जिसकी बाकी पूरी में ही प्रत्युत कर दी गयी है। वर्तमान में 2.00 मी० चौड़ाई में वृक्षों की गणना कर सूची संगलन कर प्रेषित की जा रही है। आवेदित 2.00 मी० चौड़ाई के लिए वन पंचायत भूमि पर 117 वृक्ष पड़ रहे हैं, जिनकी प्रत्यावर्ती वार्तावार सूची संलग्न है।

प्रशंसनीय परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 19.06.2015 को संयुक्त निरीक्षण में प्रस्तावित विभाग की ओर से अपर सहायक अभियन्ता, श्री प्रदीप कुमार उपाध्याय, वन विभाग की ओर से वन दरोगा डीडीहाट, श्री मनोज कुमार लिवारी, एवं वनरक्षक श्री मोहन सिंह राठौर, उपरिथिति रहे। उक्त दिनांक को 2.00 मी० चौड़ाई में आवेदित वन भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

परियोजना के निर्माण में 9.00 मी० चौड़ाई में पड़ने वाले वृक्षों का विवरण।

| क्रमांक | भूमि का प्रकार | व्यास वर्ग (मी०मी) | | | | | | | | | घोष |
|---------|------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | |
| 1 | आवेदित वन भूमि | शून्य | | | | | | | | | |
| 2 | प्रतिक्रिया वेगम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | वन पंचायत | 15 | 88 | 188 | 95 | 66 | 33 | 16 | 08 | 0 | 509 |
| | वीथि | 15 | 88 | 188 | 95 | 66 | 33 | 16 | 08 | 0 | 509 |
| 4 | नपां भूमि | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल वृक्ष | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

नोट:- 1— वर्तमान में 2.00 मी० चौड़ाई में वृक्षों की गणना कर सूची संगलन कर प्रेषित की जा रही है।

2— परियोजना के निर्माण में 9.00 मी० चौड़ाई के लिए समिलित कुल 509 वृक्षों में से 7.00 मी० चौड़ाई में वारतविक रूप से केवल 392 वृक्षों का पातन किया जाना है।


वन दरोगा
नामीकरण (पिथौरागढ़)

अपर सहायक अभियन्ता,
ग्रामनिवारी,
पी०एम०जी०एस०वाइ०,
डीडीहाट।


सहायक अभियन्ता,
ग्रामनिवारी,
पी०एम०जी०एस०वाइ०,
डीडीहाट।


अधिकारी अभियन्ता,
ग्रामनिवारी
पी०एम०जी०एस०वाइ०,
डीडीहाट।


वन सहायक
पिथौरागढ़


वन सहायक
पिथौरागढ़

— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौवाही वस्त्रयन्त्रकुपी मोटर मार्ग (9,070 कि०मी) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रबंधाव ।

वन पंदायत भूगि के 2.00 मी⁰ चौड़ाई में पड़ने वाले वृक्षों का विवरण ।
आगे का नाम— चौबाटी— बरमबचकुड़ी माटर मार्ग के अवशेष 2 मी⁰ में पड़ने वाले वृक्षों की मण्ना सूची ।

(डीडीहाट वन क्षेत्र, डीडीहाट)

| | | व्यास वर्ग से ० मी० में (गोलाई) | | | | | | | | | | योग |
|-------|--------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| | | ०-१० | १०-२० | २०-३० | ३०-४० | ४०-५० | ५०-६० | ६०-७० | ७०-८० | ८०-९० | ९०+ | |
| ४ | चौकुर चौकुर | चीड़ Pinus roxburghii Sargt | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 02 |
| | | ताँबा Quercus leucotrichophora | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 04 |
| | | बुराण | — | — | 2 | — | — | — | 2 | — | — | 04 |
| | | उतीस | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 02 |
| | | काफल | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 02 |
| | | फल्गाट | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 03 |
| ५ | चौपांचु चौपांचु | चीड़ Pinus roxburghii Sargt | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | 04 |
| | | ताँज Quercus leucotrichophora | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 06 |
| | | फल्गाट | — | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | 04 |
| | | उतीस | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | 04 |
| | | काफल | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 02 |
| | | आयॉर | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 06 |
| योग:- | | 15 | 3 | 15 | 23 | 32 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 117 |

मान देशन
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

अपर सहायक अभियन्ता,
ग्रामिनी०
पी०एम०जी०एस०वाई०,
डीडीहाट।

सहायक अभियन्ता,
ग्रामिनी०
पी०एम०जी०एस०वाई०,
डीडीहाट।

अभियन्ता
ग्रामिनी०
पी०एम०जी०एस०वाई०,
डीडीहाट।

यन क्षेत्राधिकारी,
डीडीहाट (पिथौरागढ़)